राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को नवनियुक्त 9 जजों को एक साथ शपथ दिलाई गई। इन नियुक्तियों के साथ ही हाई कोर्ट के 50 पदों में से 35 पदों पर नियुक्ति पूर्ण हो गई है, जिनमें 3 महिलाएं हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट के नौ जजों ने एक साथ शपथ ली

- इसी के साथ राजस्थान हाईकोर्ट में कुल 35 न्यायाधीश हो गये हैं, अब भी 15 पद रिक्त हैं।
- नये जजों में वकील कोटे से जज बनी नुपूर भाटी भी हैं, उनके पति पहले से हाईकोर्ट में जज हैं।

जोधपुर, 16 जनवरी (कासं) । राजस्थान उच्च न्यायालय में आज सुबह नौ जजों ने एक साथ पद की शपथ ली। रोचक है कि, जोधपुर की डॉ. नूपुर भाटी, जिनको सोमवार को हाईकोर्ट जज के रूप में शपथ दिलाई गई, उन के पति जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी पहले से राजस्थान हाईकोर्ट में जज हैं।

ज्ञातव्य है कि, शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर वकील कोटे से 3 और न्यायिक अधिकारी कोटे से 6 जजों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए थे। इसी के साथ अब हाइकोर्ट में 50 पदों में से 35 पदों पर जजों की नियुक्ति हो गई है।

सोमवार को सुबह राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जोधपुर में नव नियुक्त सभी 9 जजों को मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल ने शपथ दिलाई। वकील कोटे से नियुक्त जजों में जयपुर के गणेश राम मीणा, अनिल कुमार उपमन और जोधपुर की डॉ. नुपुर भाटी की नियुक्ति की गई है। जबकि, न्यायिक अधिकारी कोटे से राजेन्द्र प्रकाश सोनी, अशोक कुमार जैन, योगेन्द्र कुमार पुरोहित, भुवन गोयल, प्रवीर भटनागर और आशुतोष कुमार की नियुक्ति हुई है।

राजस्थान हाईकोर्ट में 35 में से अब 3 महिला जज हो गई हैं, जिनमें, वकील कोटे से जज के रूप में नियुक्त नूपुर भाटी के अलावा शुभा मेहता, रेखा बोराणा पहले से सेवाएं दे रही हैं।

मु.मंत्री के लिये...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लीक करवाने वालों के मूल सरगना को पकड़े, ना कि छुटभैयों को, क्योंकि ऐसा ही होता लग रहा है।

मंत्री हेमा राम चौधरी ने कहा कि युवा नेताओं को राजनीति में उनका उचित स्थान दिया जाना चाहिए जो होता नहीं लग रहा है।

पायलट के करीबी नेताओं ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों को साथ लाने का प्रयास होना चाहिए ताकि पार्टी 21 विधायकों तक न आ जाए जैसा गहलोत के गत कार्यकाल में हुआ था। सचिन पायलट 21 विधायकों वाली पार्टी को सत्ता में लाए पर गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। इस समय गहलोत पद छोड़ने से मना कर रहे हैं क्योंकि वे नहीं चाहते की पायलट मुख्यमंत्री बनें और गांधी परिवार का नेतृत्व इतना कमजोर है कि अशोक गहलोत का मुकाबला करने से डरता है।

ए.एस.पी. दिव्या दो करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार

एस.ओ.जी. की एडीशनल एस.पी. दिव्या मित्तल को ए.सी.बी. ने सुबह अजमेर में उनके घर से गिरफ्तार किया

अजमेर, 16 जनवरी (कासं)। मादक पदार्थों की तस्करी मामले में आरोपियों को गिरफ्तारी से बचाने व केस से नाम हटाने के लिए एक दलाल के जरिये दो करोड़ रु. की रिश्वत मांगने की आरोपी एस.ओ.जी. की एडिशनल एस.पी. दिव्या मित्तल को सोमवार को ए.सी.बी.ने गिरफ्तार कर लिया। ए.सी.बी. की टीम ने दिव्या मित्तल को अजमेर स्थित एक सोसायटी के फ्लैट से गिरफ्तार किया और उन्हें पकड़कर जयपुर ले गई है।

एस.एस.पी. दिव्या मित्तल पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई के बाद नाम हटाने के एवज में 2 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप है। आरोप है कि, दलाल ने उनके उदयपुर में स्थित रिसोर्ट पर पीड़ित को बुलाकर रिश्वत की मांग की और डराने-धमकाने की शिकायत पर ए.सी.बी. ने न्यायालय से आदेश प्राप्त कर एएसपी दिव्या मित्तल के 5 ठिकानों पर सोमवार को छापा मारा।

बताया जा रहा है कि ए.सी.बी. को कुछ दस्तावेज मिले हैं। इनके साथ वो दिव्या मित्तल को जयपुर रवाना हो गई है। ए.सी.बी. ने दिव्या के अजमेर स्थित एआरजी सोसायटी के फ्लैट पर, जयपुर स्थित एक फ्लैट पर, उदयपुर के सिकलवास स्थित रिसॉर्ट, चिड़ावा स्थित इनके पैतृक घर और अजमेर स्थित एसओजी के दफ्तर में रेड की कार्रवाई की है। शुरुआती पूछताछ में दिव्या मित्तल ने बताया है कि, रिश्वेत के पैसे ऊपर तक बांटे जाने वाले थे, अत: ए.सी.बी. इस मामले में उच्चाधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच करेगी।

चिड़ावा में दिव्या मित्तल के माता-पिता रहते हैं। एसीबी झुंझुनूं की टीम ने सोमवार सुबह आठ बजे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एएसपी इस्माइल खान के नेतृत्व में पैतृक मकान में सर्च शुरू किया, जो अभी तक जारी है। संभावना है कि यह सर्च देर शाम तक जारी रहेगा। गौरतलब है कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिव्या मित्तल का परिवार मूल रूप से हरियाणा निवासी है, लेकिन कई दशकों से उनका परिवार चिड़ावा में रहता है। ए.सी.बी. के एडिशनल एसपी बजरंग सिंह ने बताया कि एक परिवादी ए.सी.बी. मुख्यालय पर आया था। उन्होंने इस बात की सूचना दी थी कि उसके खिलाफ एक प्रकरण दर्ज होने के बाद उसमें से नाम हटाने के एवज में दो करोड़ रुपए की डिमांड की जा रही है। परिवादी ने कहा कि उसका इस मामले में कोई दोष नहीं है, उसने बताया कि जब मैं अनुसंधान अधिकारी दिव्या मित्तल के पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप उदयपुर की तरफ रवाना हो जाओ। आपके पास एक फोन आएगा। उसके अनुसार वहां चले जाना, थोड़ी देर में निकलते ही फोन आया और उसके बाद मैं उदयपुर के लिए रवाना हो गया, वहां मुझसे दो करोड़ की मांग की गई। असमर्थता जाहिर करने पर डरा-धमकाकर एक करोड़ रुपए से कम नहीं होने की बात कही गई, यहां से लौटकर ए.सी.बी. को रिपार्ट दी।

मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में गिरफ्तारी से बचाने और केस से नाम हटाने की एवज में 2 करोड़ रु. की रिश्वत मांगने के आरोप में ए.सी.बी. की टीम ने एडिशनल एस.पी. दिव्या मित्तल को गिरफ्तार कर लिया। ए.सी.बी. की टीम मामले की विस्तार से तफ्तीश करने के लिए दिव्या मित्तल को पकड़कर जयपुर ले आई।

- आरोप है कि, दिव्या मित्तल ने एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कार्यवाही से नाम हटाने के लिए दो करोड़ रू. की रिश्वत मांगी थी।
- ए.सी.बी. को तलाशी में दिव्या के घर से कुछ दस्तावेज मिले हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया है। ए.सी.बी. दिव्या को जयपुर ले गई है।

बताया जा रहा है कि पीड़ित जब बाद में एएसपी के पास गया तो एक करोड़ रूपये पर बात बनी। पहली किश्त के रूप में 25 लाख वो देने वाला था और इससे पहले ही ए.सी.बी. भी अपना जाल बिछा चुकी थी तभी दलाल को भनक लग गई और वो नहीं आया, ट्रैप फेल होने के बाद ए.सी.बी. ने अदालत से वारंट लेकर कार्रवाई की।

जानकारी अनुसार मई 2021 में अजमेर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की नशीली दवाओं की खेप पकड़ी थी। इसमें जयपुर में साढ़े पांच करोड़ और अजमेर में 11 करोड़ की दवाओं के साथ आरोपी पकड़े गए थे। इसी मामले से नाम हटाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। परिवादी ने 4 जनवरी को एसीबी से संपर्क किया था।

मंडावर के पालोदा गांव में दो पक्ष भिड़े, फायरिंग में महिला सहित दो जनों की मौत

- बताया जाता है कि, दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश थी। सुबह दोनों पक्षों में कहा सुनी हुई थी, उसके बाद पहले पथराव हुआ फिर एक पक्ष ने गोली चला दी।
- घटना की जानकारी मिलने पर डॉ. किरोड़ी लाल मीणा पीड़ित पक्ष से मिलने पहुंचे तथा दोषियों को गिरफ्तार करने, मंडावर पुलिस थाने को लाइन हाजिर करने व रसीदपुर पुलिस चौकी के पुलिसकर्मियों को सस्पैंड करने की मांग की।
- जयपुर-भरतपुर स्टेट हाईवे 10 बजे से 3 बजे तक प्रभावित रहा।

मंडावर,16 जनवरी (निस)। मंडावर थाना इलाके के पालोदा गांव में दो पक्षों में चली आ रही पुरानी रंजिश के कारण सोमवार को एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर फायरिंग कर दी। इस खूनी झगड़े में दूसरे पक्ष की एक महिला सहित दो लोगों की गोली लगने से मौत हो गई जबकि आधा दर्जन लोगों को उपचार के लिए महुवा व मण्डावर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सोमवार सुबह दो पक्षों के लोगों में पुरानी रंजिश के चलते कहासुनी के बाद पथराव हो गया। पथराव के बीच एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जिसमे दूसरे पक्ष के हीरा लाल योगी (60) व अलका (20) पत्नी दीपराम योगी गोली लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गये। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तथा एम्बुलेंस से गम्भीर घायलों को महुवा के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वही 4 अन्य घायलों को महुवा के राजकीय अस्पताल व 3 घायलों को मंडावर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। जहां उनका प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रैफर कर दिया गया।

इस घटना के बाद गुस्साए पीड़ित परिवार के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस थाने के आगे जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिजनों और लोगों से जानकारी ली। डॉ. मीणा ने पीड़ित लोगों की तरफ से मांग रखी कि, मंडावर पुलिस थाने को लाइन हाजिर किया जाए, रसीदपुर पुलिस चौकी को सस्पैंड किया जाए और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि, जब तक यह मांगें नहीं मानी जाती तब तक मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। मामले को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन समाप्त हो किया गया है। इस दौरान एसपी संजीव नैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लालचंद कायल सहित महुवा, मानपुर के डीएसपी व जिले भर के आधा दर्जन पुलिस थानों के थाना अधिकारी मौजूद रहे।

पीड़ित पक्ष के लोगों द्वारा जयपुर भरतपुर स्टेट हाईवे पर जाम लगाने से जयपुर, भरतपुर की ओर आने, जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हुई। पीड़ित परिवार के लोग सुबह करीब 10 बजे से थाने के सामने 3 बजे तक जाम लगा कर बैठे रहे।

पारदर्शिता की आड़ में सरकार एक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की।

अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में सरकार के पत्र को खतरनाक बताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि, "यह बेहद खतरनाक है न्यायिक नियुक्तियों में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए।"

अब केन्द्र ने कोलीजियम सिस्टम के कामकाज को सरल व कारगर बनाने के लिए सर्च-कम-इवैलुएशन कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा हैं। सूत्रों ने कहा कि यह पैनल कोलीजियम को जजों की नियुक्ति के लिए नामों का सुझाव देखा और उन्हें सूचीबद्ध करेगा और अंतिम फैसला कोलीजियम करेगा।

जजों की नियुक्ति पर चल रहे शब्द युद्ध में कई मंत्री मौजूदा एवं पूर्व तथा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोलीजियम सिस्टम की आलोचना की और इसे न्यायपालिका औपेक्नैस (अपारदर्शिता) की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि जजों के चयन में सरकार की भूमिका होनी चाहिए जो कि वर्ष 1993 से सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम का एकाधिकार बना हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने कोलीजियम सिस्टम का जोरदार बचाव किया है। कांग्रेस, तृणमूल और आम आदमी पार्टी जैसे दलों ने सर्वोच्च न्यायालय के रुख का समर्थन किया है।

कानून मंत्री बनने के बाद से रिजीजू ने कई बार कहा कि कोलीजियम सिस्टम संविधान को हिस्सा नहीं है और उन्होंने ऐसे हरेक सिस्टम का विरोध किया जिसमें जजों की नियुक्ति में सरकार का कोई दखल ना हो। उन्होंने नैशनल जूडिशियल अपॉइन्टमैंट कमीशन को खारिज करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की। भाजपा नीत सरकार ने 2014 में एक कानून बनाकर एन.जे.ए.सी. बताया था। आयोग में सरकार और न्यायपालिका के प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया जाना था।

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भी कई मंचों पर यह बात कहीं गत सप्ताह उन्होंने न्यायिक मंचों से एक दूसरे को नीचा दिखाने और सार्वजनिक मुद्दों पर ब्यानबाजी की आलोचना की और एन.जे.ए.सी. को खारिज किए जाने के लिए उन्होंने कहा कि विश्व में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा।

उन्होंने 1973 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की भी आलोचना की जिसमें कहा गया था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है पर संविधान के मूल ढांचे में नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम कानून है जिसका पूर्णतया पालन किया जाना चाहिए। चूंकि कुछ लोग या कुछ वर्ग कोलीजियम सिस्टम के खिलाफ हैं इसलिए हम इसे खत्म नहीं कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम में अभी सी.जे.आई. चन्द्रचूड़ एवं जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस के.एम. जोसफ, जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस अजय रस्तोगी व जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हैं।

रिजीजू के पत्र में राज्य सरकारों की तरफदारी की गई है कि हाई कोर्ट कोलीजियम में राज्य सरकारों के प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

जापान सैन्य ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जापान को सैन्य ताकत बनाने की दिशा में काम करने की शपथ ली।

जापान ने इससे एक माह पहले अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की योजना घोषित की थी अमेरिका आने से पहले कीशीदा यूरोपियन, ब्रिटिश व कैनेडियन नेताओं से उनके देशों में मिले थे।

एक समय था जब ऐसी बात सोची भी नहीं जा सकती थी क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने युद्ध नीति एकदम त्याग दी थी लेकिन परम्परावादी कई दशकों से इस प्रयास में हैं कि संविधान में शांति संबंधी प्रावधान को बदल दिया जाए और जापान की जनता भी इस रुख का समर्थन करती है असल में अगस्त में ताईवान के आसपास चीन द्वारा मिसाइले दागे जाने से जापान बहुत नाराज़ हुआ था क्योंकि इनमें से 5 मिसाइले जापान के पास गिरी थीं। यह ईस्ट चाइना सी में विवादास्पद सेन्काकू द्वीप पर चीन की गतिविधियों से भी रुष्ट है।

अमेरिका जिसे उम्मीद है कि उसके एशियाई हितों में जापान उसका माध्यम बनेगा, जापान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

पश्चिम से समर्थन मिलने के बाद कीशीदा जापान की संसद का समर्थन लेने की कोशिश करेंगे।

प्रियंका गांधी ने महिला...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिया है।

उन्होंने भाजपा और उसके भ्रष्टाचार की आलोचना की तथा एक ठेकेदार द्वारा 40 प्रतिशत कमीशन मांगे जाने का आरोप लगाए जाने का मुद्दा उठाया साथ ही भाजपा नेताओं द्वारा कथित तौर पर भारी-भरकम रिश्वत मांगे जाने की बात कही। भाजपा पूरा जोर लगा रही है भ्रष्टाचार के आरोपों को नकारने का, पर हाल ही ने एक भाजपा विधायक द्वारा रिश्वत मांगे जाने पार्टी के लिए मुश्किले और बढ़ गई है।

सोमवार का खटिक का ट्रैक्टर एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि उसने चित्रदुर्ग के विधायक थिरपा रैड्डी को 90 लाख रूपए दिए थे। प्रैस कांन्फैंस में उसने अपनी और भाजपा विधायक की वार्ता का ऑडियो टैप भी जारी किया जिससे भाजपा पर विधायक ने इन्कार कर दिया।

जनधारणा में भ्रष्टाचार के आरोपों के टिकने के आधार पर ये नवीनतम आरोप पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। भाजपा प्रवक्ताओं के आरोपों और आरोप लगाने के समय को राजनीति से प्रेरित बताया। और कहा कि ठेकेदार है तो केस कर सकते है लोकायुक्त के पास जा सकते है।

प्रधानमंत्री...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर एग्जीक्युटिव के एजेंडा को अंतिम रुप दिया।

मंगलवार को प्रधानमंत्री बैठक का समापन करेंगे और पार्टी को जीत का मंत्र देगे।

"अमर्त्य सेन की, भारत से वाकफियत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राष्ट्रीय स्तर पर अब ममता से कही अधिक है। वे दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण राज्य के साथ ही पंजाब के भी नेता हैं।

बनर्जी ने अपने पड़ोसी राज्य त्रिपुरा में एक गंभीर प्रयास किया था, किन्तु वह वहां भी अपना कोई जनाधार नहीं बना सकी। उन्होंने गोवा के विधानसभा चुनाव में चर्चिल सहित गोवा के प्रमुख नेताओं को फण्ड्स उपलब्ध करवाए थे, लेकिन शायद खुद के साथ की वजह से ममता समर्थित सभी नेताओं की जमानत जब्त हो गई थी, जनप्रतिनिधि निर्वाचित कराने की बात तो छोड़िए।

दूसरी तरफ, तेलुगु राजनेता चन्द्रशेखर राव जैसे मजबूत नेता, भी हाशिए पर आ चुकी ममता से कही अधिक महत्वपूर्ण प्लेयर हैं। ममता में वर्तमान सरकार के राष्ट्रीय विरोध की धुरी बनने का करिश्मा नहीं है।

तर्क संगत राजनीतिक दावे करने के लिए भी अन्तत: राजनीतिक गणित की भूमिका प्रमुख होती हैै वास्तविकता यह है कि मजबूत जनाधार ना रखने वाले वैकल्पिक प्रधानमंत्रियों का अल्प राजनीतिक जीवन यह दर्शा चुका है कि कोई गतिरोध ऐसे दावेदार की प्रतीक्षा कर सकता है। सेन ने अपने बयानों में अक्सर सार्वजनिक जीवन में सच्चाई व शुचिता बनाए रखने की बात की जाती है।

राजनीतिक भ्रष्टाचार समाज की अन्तर्निहित कार्यकुशलता को खोखला कर देता है। उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा समय-समय पर किए गए भारी भ्रष्टाचार ने बंगाल के लोगों को सर्वाधिक आहत किया है। टी.एम.सी.के. राजनेताओं द्वारा की गई संगठनात्मक आपराधिक लूट से सबसे गरीब और सबसे कमजोर तबका सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। ममता बनर्जी ने इस सबके प्रति अपनी आंखे मूंद रखी हैं, हालांकि उन्होंने समय-समय दिए अपने बयानों में भ्रष्टाचारियों का कड़ा विरोध किया है। बनर्जी के एक दशक से अधिक लम्बे शासन में बंगाल की अर्थव्यवस्था और गरीबी में चली गई है। शेष भारत ने जहां निवेश आकर्षित किए, वहीं बंगाल ने निवेश लाने की सिर्फ बातें ही की, लेकिन धरातल पर कुछ भी फलीभूत नहीं हुआ।

बंगाल के युवक और युवतियां रोजगार की तलाश ही राज्य छोड़ रहे हैं। बैंग्लोर, हैदराबाद और पुणे ने नौकरियों की तलाश में लगे इन लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। वहां नए निवेश एवं उद्योग भी आए हैं।

'91 नहीं मात्र 81 विधायकों ने ही इस्तीफे दिए थे'

राजस्थान हाई कोर्ट में इस्तीफों के मामले पर दायर याचिका की सुनवाई में विधानसभा के प्रमुख सचिव ने बताया

- विधानसभा के प्रमुख सचिव ने बताया कि 81 विधायकों ने ही इस्तीफे दिए थे और इनमें से भी 5 के इस्तीफों की फोटो कॉपी पेश की गई थी।
- उन्होंने अदालत को जानकारी दी कि, नियम 173 (4) के तहत विधायक इस्तीफा वापस ले सकते हैं, उन्होंने यह भी कहा कि, महाधिवक्ता कोर्ट में विधानसभा का पक्ष रख सकते है।
- ज्ञातव्य है कि, सितम्बर 2022 में गहलोत समर्थक विधायकों ने इस्तीफे दिये थे, जिन पर लम्बे समय तक कोई फैसला नहीं होने के कारण भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ ने अदालत में याचिका दायर की थी।

जयपुर,16 जनवरी (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को कांग्रेस विधायकों द्वारा दिए गए इस्तीफों के मामले में विधानसभा के प्रमुख सचिव ने अपना जवाब पेश किया, जिसमें कहा गया है कि, 91 विधायकों ने नहीं बल्कि 81 विधायकों ने इस्तीफे दिए थे। इनमें भी पांच विधायकों के इस्तीफों की फोटो कॉपी पेश की गई थी। इसके अलावा छह विधायकों ने पेश होकर ये इस्तीफे प्रस्तुत किए थे। जवाब में आगे कहा गया है कि, विधायकों ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपने इस्तीफे वापस लिए हैं और नियम 173 (4) के तहत विधायक अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं। इसके अलावा अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि, महाधिवक्ता विधानसभा की ओर से भी पक्ष रख सकते हैं। स्पीकर ने गत 13 जनवरी को इन इस्तीफों को अस्वीकार कर दिया था। इसलिए याचिका को खारिज किया जाए।

जवाब पेश करने से पहले सुनवाई के दौरान विधानसभा सचिव की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि वे आज ही मामले में जवाब पेश कर देंगे। इस पर जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस सीके सोनगरा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता राजेन्द्र सिंह राठौड़ को कहा कि वे चाहे तो पेश होने वाले जवाब पर अपना प्रतिजवाब भी पेश कर सकते हैं। इसके साथ ही अदालत ने जनहित याचिका पर बीस जनवरी तक सुनवाई टाल दी। दरअसल गत सुनवाई को खंडपीठ ने महाधिवक्ता को कहा था कि वे अगली सुनवाई पर स्पीकर से पूछकर बताए कि विधायकों के इस्तीफों पर कब तक निर्णय कर लेंगे। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से यह भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि महाधिवक्ता विधानसभा की ओर से पैरवी नहीं कर सकते हैं। याचिका में कहा गया था कि कांग्रेस के 91 विधायकों ने गत 25 सितंबर को विधानसभा स्पीकर को अपने इस्तीफे सौंपे थे। उसके बाद 18 व 19 अक्टूबर और 12 व 21 नवंबर को याचिकाकर्ता ने स्पीकर को प्रतिवेदन देकर इस्तीफे पर निर्णय करने का आग्रह किया था। याचिका में कहा गया था कि इसके बावजूद भी स्पीकर ने अब तक इन इस्तीफों को लेकर कोई निर्णय नहीं किया है। याचिका में कहा गया कि "यदि कोई विधायक इस्तीफा स्वयं पेश करता है तो विधानसभा प्रक्रिया नियम 173 के तहत स्पीकर के पास इस्तीफा स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होता। इस्तीफे के स्वैच्छिक और वास्तविक होने के संबंध में ही जांच की जा सकती है। याचिका में यह भी कहा गया कि यह असंभव है कि इतनी बड़ी संख्या में विधायकों से जबरन इस्तीफों पर हस्ताक्षर करवाए गए हो या उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हों। विधायकों के इस्तीफों के चलते सरकार सदन में अपना विश्वास खो चुकी है। इसके बावजूद भी इस्तीफा देने वाले मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद सहित अन्य सरकारी बैठक में शामिल हो रहे हैं।" याचिका में भी गुहार की गई थी कि इस्तीफा देने वाले विधायकों के नाम सार्वजनिक किए जाएं और बतौर विधायक इनका विधानसभा में प्रवेश से रोका जाए।

एक पक्षकार के रुप में स्वयं पैरवी करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने कहा कि "राज्य की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले सत्तारुढ़ दल के त्यागपत्र वीर विधायकों ने संविधान का मखौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पहले त्याग पत्र देना और फिर विधायकी जाने के भय से त्याग पत्र वापिस लेने से यह प्रमाणित होता है कि निजी स्वार्थों के लिए सत्ताधारी पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने लोकतंत्र व संविधान का सरासर अपमान किया है। संविधान के आर्टिकल 190 (3) में विधायकों द्वारा सीट से त्याग पत्र देने का प्रावधान है पर उसे वापिस लेने का नहीं। राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की साढ़े 7 करोड़ जनता के मन-मस्तिष्क में 25 सितंबर 2022 का घटनाक्रम आज भी अमिट छाप की तरह ताजा है क्योंकि राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब 91 माननीय विधायकों जिसमें मंत्री भी शामिल थे, ने अपने अपने क्षेत्रों की जनता के विश्वास को ठुकराते हुए सार्वजनिक तौर पर इस्तीफे दिये। टीवी चैनलों के कैमरों के सामने बस में भर भर कर अध्यक्ष महोदय के निवास पर ले जाए गए इन सदस्यों के इस्तीफ़े अब मात्र 6 विधायकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने की आश्चर्य जनक कहानी सामने लायी गयी है। ना तो इस्तीफ़े ख़ारिज करने की दिनांक बतायी गयी है, और ना ही इस्तीफ़े देने वाले त्यागपत्र वीरों के नाम उजागर किए गये है। 110 दिनों तक वे सभी सदस्य निर्बाध वेतन-भत्ते व अन्य सुविधाएं उठाते रहे, विधायक विकास कोष से स्वीकृतियां जारी की, तबादला करवाए और आज भी संवैधानिक पदों पर आसीन है। उसके उपरान्त अब जब इस्तीफे वापिस ले लिये हैं तो ऐसे विधायकों व मंत्रियों का नैतिक दायित्व है कि वे त्याग पत्र देने व वापिस लेने की अवधि के मध्य तमाम प्राप्त की गई सरकारी सुविधाओं की राशि पुन: राजकोष में जमा कराएं और जो नीतिगत निर्णय लिये गये हैं उन्हें वापिस लिया जायें और सार्वजनिक रूप से ऐसे समस्त सदस्य जनता से माफी मांगें।" राठौड़ ने कहा कि, "यह मामला संवैधानिक प्रक्रिया के गंभीरतम दुरुपयोग का मामला है। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद जिस प्रकार के टालू क़िस्म के जवाब शपथ पत्र में दिए गए है, उनके सम्बंध में सम्पूर्ण क़ानूनी स्थिति का अध्ययन कर और क़ानूनी सलाह ले कर मैं अपनी ओर से कोर्ट में रिजोईंडर पेश करूँगा।"

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908